

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार दमोह जिले के अंतर्गत सतधारू सिंचाई तालाब निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिला दमोह के अंतर्गत वनमंडल दमोह के परिक्षेत्र दमोह के कक्ष क्रमांक RF241, RF240, RF238, RF124, RF122, RF123, RF113, RF121, PF235, PF237, PF236, PF233, PF234, एवं PF232 का कुल रकबा 789.93 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि :- 22/11/17
स्थान:-भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal